नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मध्य प्रदेश शासन
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 2871 /1560/2016/18-5 भोपाल,दिनांक 29 सितम्बर,2016

प्रति,

1 समस्त जिला कलेक्टर,मध्यप्रदेश
2 समस्त पुलिस अधीक्षक,मध्यप्रदेश ।

विषयः-पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत पतंग उड़ाने में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक/सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित नायलोन मांजे से पक्षियों एवं मानवों को होने वाले दुष्प्रभाव के कारण इसका उपयोग प्रतिबंधित किये जाने बावत् ।

यह कि आप सभी विदित ही हैं कि त्यौहारों के अवसर पर पतंग उड़ाने में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक/सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित नायलोन/चायना मांजे से पक्षियों एवं मानवों के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यू होने की बहुतायत घटनायें हो रही हैं ।

2/- यह कि प्लास्टिक/सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित नायलोन/चायना मांजे नॉन बायोडिग्रेडेबिल प्रकृति का बना होने के कारण शीघ्र नष्ट नहीं होता, जो अधिक समय तक जमीन पर पड़े रहने से जमीन, ड्रेनेज/सीवर लाईन को चौक होने, नदी एवं नालों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है । प्लास्टिक/ सिन्थेटिक मटेरियल से बने नायलोन/ चायना मांजे को गाय एवं अन्य पशुओं द्वारा खाद्य पदार्थ के साथ खाने से दमघुटने का कारण बनता है ।

3/- यह कि चायना धागे के विजली के खुले तारों में उलझने से तारों में शॉट सर्किट से आग लगने एवं सब स्टेशन के दुर्घटनाग्रस्त होने से विद्युत प्रदाय में अवरोध होने, विद्युत उपकरणों के खराब होने, उनके दुर्घटनाग्रस्त होकर मानव जीवन को क्षति एवं हानि पहुंचने का कारण बनता है ।

4/- यह कि, यह सर्वविदित है कि पक्षियों के उड़ने संबंधी गतिविधियाँ प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं सायंकाल 5 से 7 बजे तक अधिक होती हैं, जो कि मनोहरी होती हैं । दिन प्रतिदिन लुप्त होती दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को चिन्हित कर उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता है ।

5/- अतएव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 26) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो अधिसूचना क्र. एस.ओ. 152 (ई) नई दिल्ली, दिनांक 10/2/1988 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रत्यायोजित की गई हैं, को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करती है

कि आप निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं जन-सामान्य में आवश्यक जागृति हेतु प्रचार-प्रसार करें :-

1 पतंग उड़ाने में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक/सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित चायनीज/नायलोन मांजे से पक्षियों एवं मानवों को होने वाले दुष्प्रभाव के कारण इसका उपयोग प्रतिबंधित किया जाये ।

2 प्लास्टिक/सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित चायनीज/नायलोन मांजे के थोक विक्रेता उक्त मांजे का संग्रहण एवं विक्रय बंद करें ताकि मकर संक्रांति के दौरान उनका उपयोग न हो सके ।

3 नॉन बायोडिग्रेडेबिल प्लास्टिक/सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित चायनीज/नायलोन मांजे से पतंग उड़ाने के कारण पक्षियों की संख्या में कमी, जल स्रोतों, एवं मिट्टी पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं दुर्घटनाओं को रोक जाये ।

4 नॉन बायोडिग्रेडेबिल प्लास्टिक/सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित चायनीज/ नायलोन मांजे के उपयोग से पक्षियों, मानव जीवन, को हानि, मिट्टी, जल स्रोतों, विद्युत लाईन, सब स्टेशन में होने वाले व्यवधान विद्युत प्रदाय में आने वाले अवरोध संबंधी घटनाओं के संबंध में जन-जागृति लाने हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करें ।

(सी0के0साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक 2872 /1560/2016/18-5 भोपाल,दिनांक 29 सितम्बर,2016

प्रतिलिपिः

1/ निज सचिव,माननीय मंत्रीजी,पर्यावरण,मध्यप्रदेश शासन ।
2/ उपसचिव,म.प्र.शासन,मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय ।
3/ अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कृपया कष्ट करें ।
4/ प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
5/ प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क, सूचना एवं प्रसारण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि जन-सामान्य में चेतना लाने हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें ।
6/ सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त जिला कलेक्टरों को अपने स्तर से मेल प्रेषित करने का कष्ट करें ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग